

1/4/10 ले पूर्व के दिनांकों पर R-T-E वाला

प्रारूप-2

ग्राम
ई-मेल

पं न
केंद्र

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) जुजु राजस्थान

दिनांक : 23/7/13

संख्यांक : 144

प्रबन्धक

मन्मथ रंजन
विस्तार विधि, मन्मथ (राज)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय की मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 9/7/13 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ भ्रष्टाचारपूर्ण पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं मन्मथ रंजन विस्तार विधि 3322 दिनांक 1/4/10 से दिनांक तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा तक के लिए अतिरिक्त मान्यता प्रदान करने की संरचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 23 प्रतिशत तक आरंभ-पढ़ाई के कमजोर बच्चों और अल्पवयस्क बच्चों को प्रवेश देना करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने पर उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दस्तावेज रखेगा।

Ravi
PRINCIPAL
JHUNJHUNU ACADEMY
CBSE Aff. No. 1730273
Jhunjhunu (Raj.) 333001

Deepak
PRESIDENT
Jhunjhunu Academy Samity
Jhunjhunu (Rajasthan)

5. सोसायटी / विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्ष नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्र
 कुल निर्मित क्षेत्र
 क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
 कक्षा कमरों की संख्या
 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 पेयजल सुविधा
 मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
 बाधा रहित पहुंच

Ravi
PRINCIPAL

JHUNJHUNU ACADEMY
CBSE Affi. No. 1730273
Jhunjhunu (Raj.) 333001

Dilip

PRESIDENT

Jhunjhunu Academy Samity
Jhunjhunu (Rajasthan)

Page 22 of 38

11. अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
 12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत या सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजी जानी चाहिए।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 124 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
 17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरोधों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
 18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 19. सलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- नोट - R-7-E 09 के माध्यम से प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय
355 एलटी गिडगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

Ravi
PRINCIPAL
JHUNJHUNU ACADEMY
CBSE Affi. No. 1730273
Jhunjhunu (Raj.) 333001

Dilip Singh
PRESIDENT
Jhunjhunu Academy Samity
Jhunjhunu (Rajasthan)